

PMS 537
12/2/18

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: P0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 5/2/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

1036

- 5 2018

विषय:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.17 द्वारा पीजी करने वाले चिकित्सको को स्वीकृत किये गये अध्ययन अवकाश में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.17 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जावे-

समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.17 में संशोधन-

मेडिकल कॉलेज, झालावाड़

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
8	डॉ कपिल कुमार	शिशु रोग	27.05.17 से 26.05.20
12	डॉ प्रमोद कुमार शर्मा	निश्चेतना	03.06.17 से 02.06.20

समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.17 में संशोधन-

मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
28	डॉ सुरेश कुमार	शिशु औषध	27.05.17 से 26.05.19

उपरोक्त संशोधनो के साथ ही इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.17 के द्वारा डॉ अमित बत्रा, पीजी अध्ययनरत, एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (क्रम संख्या 52) का चयन इन सर्विस कोटे से नही होने के कारण उनको नॉन सर्विस कोटे से पीजी करने हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/राजपत्रित/पीजी/2018/ 182 दिनांक : 12/02/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/झालावाड।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा0स्वा0केन्द्र/राजकीय चिकित्सालय/प्रा0स्वा0केन्द्र
8. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
10. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।